न्यायालय: राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर, (म0प्र0)

45

पुनरीक्षण क्र0/R. S126-दो /015

Rs 201

483
26.10.15

01- संजय कुमार उम्र-33 वर्ष)
तनय श्री सीताराम पाण्डेय
02- शिवेन्द्र कुमार उम्र-20 वर्ष)

निवासी ग्राम अमरपुर, पो0 बड़ोखर, थाना व तह0 चुरहट जिला सीधी, म0प्र0.

---- निगरानीकर्ता

विरूद्ध

01- ईश्वरदीन त्रिपाठी तनय सुमेश्वरराम त्रिपाठी उम्र- वर्ष निवासी ग्राम अमरपुर, तह0 चुरहट, जिला सीधी, म0प्र0.

02- म0प्र0 राज्य द्वारा कलेक्टर महोदय सीधी, जिला सीधी, म0प्र0.

---- अना0गण.

श्री शिवप्रसाद द्विवेदी
26-10-15

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 विरूद्ध आदेश रा0नि0 मंडल चुरहट, तह0 चुरहट दिनांक 09.08.015 जो तहसीलदारतह0 चुरहट जिला सीधी, के रा0प्र0क्र0 17/अ-12/14-15 ईश्वरदीन विरूद्ध म0प्र0 राज्य मे पारित ।

मान्यवर,

पुनरीक्षण अन्य के अतिरिक्त निम्न आधारो पर प्रस्तुत है :-

(01) अधीनस्थ न्यायालय की संम्पूर्ण कार्यवाही व आदेश दिनांक 09.08.015 सर्वथा विधि एवं न्यायिक प्रक्रिया तथा सिद्धांतो के प्रतिकूल होने से निरस्त होने योग्य है ।

(02) अना0क्र01 ने ग्राम बड़ोखरा की भूमि नं0 885 के सीमांकन के लिए आवेदन दिनांक 26.05.015 को प्रस्तुत कियाऐसा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश मे

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक 126–दो/2015 निगरानी जिला सीधी

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19/6/18	यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त चुरहट तहसील चुरहट जिला सीधी के प्रकरण कमांक 17 अ 12/14–15 में पारित आदेश दिनाक 9–8–2015 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई हैं। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक क–1 ने ग्राम बड़खरा की आराजी कमांक 885 रकबा 0.220 है. के सीमांकन की मांग की, जिस पर राजस्व निरीक्षक ने प्रकरण कमांक कमांक 17 अ 12/14–15 पॅजीबद्व किया तथा सीमांकन की मेढ़िया कास्तकारों को सूचना जारी कराई। राजस्व निरीक्षक ने हलका पटवारी के साथ दिनांक 8–6–2015 को मौके पर जाकर सीमांकन कार्यवाही की, पंचनामा तैयार किया, जिस पर आवेदकगण ने आपत्ति प्रस्तुत की । सीमांकन पर आपत्ति न आने से राजस्व निरीक्षक ने आपतित्कर्ताओं को आपत्तिकर्ताओं सुनवाई हेतु सूचना दिनांक 5–8–2015 जारी किया, किन्तु बावजूद सूचना आपत्तिकर्ता अनुपस्थित रहे। राजस्व निरीक्षक ने आदेश दिनांक 9–8–15 पारित करके सीमांकन को अंतिमता प्रदान कर दी। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है। 3/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया है कि राजस्व निरीक्षक अथवा पटवारी ने आवेदक को सूचना दिये बिना अनावदेक से मिलकर गलत तरीके से सीमांकन किया है एंव मौके की स्थिति के मान से सीमांकन नहीं किया है। अनावेदक की भूमि के किये गये सीमांकन से आवेदक की भूमि प्रभावित हुई है । आवेदक के अभिभाषक	

के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से यह निर्विवाद है कि सीमांकित भूमि अनावेदक के नाम भूमिस्वामीस्वत्व पर शासकीय अभिलेख में दर्ज है जिसके सीमांकन कराने कर वह अधिकारी हैं। राजस्व निरीक्षक के आदेश अंकित है कि सीमांकन की पूर्व सूचना प्रदर्स **Exp-5** संलग्न है जिसमें सीमांकन दिनांक 8–6–14 को आवेदक के पिता सीताराम पाण्डेय के सूचना पत्र पर हस्ताक्षर बने हैं। इन सभी तथ्यें को देखते हुये विचार किया जाय , यदि आवेदक स्वयं् की भूमि को अनावेदक की भूमि के किये गये सीमांकन से प्रभावित होना मानता हैं, तब वह आर.आई. से वरिष्ठ अधिकारी अधीक्षक भू अभिलेख अथवा सहायक अधीक्षक भू अभिलेख से स्वयं् की भूमि का सीमांकन कराने हेतु स्वतंत्र है जिसके कारण अनावेदक की भूमि के किये गये सीमांकन एंव सीमांकन आदेश दिनांक 9–8–15 में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है। निगरानी सारहीन होने से इसी–स्तर पर निरस्त की जाती है।

सदस्य